बनाम तहसीलदार (सुंडर)

नाम मुकदमा प्रा० पत्र रामलेख रिकार्ड दुरुस्ती नं. 35 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/21	आज यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी आई जांच तहसीलदार सुंडर के प्राप्त होने पर प्रा०-पत्र आदेश में लिया जाकर अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम जीवा बाजी दाणी खेत खाता सं० 56 ख० नं० 221, 22, 224, 225, 247 में 1/20 का सह खातेदार है, जिसमें मेरा नाम गोपाल पुत्र जीवणराम दर्ज है जबकि मेरा नाम दीपू है जो रामलेख रिकार्ड के दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया गया है। प्रा०-पत्र कायम जांच रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रामलेख रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2066-69 में नामा० नं० 93 दिनांक 5-10-2010 द्वारा खातेदार जीवणराम फौत होने पर विरासत नामा० श्रीमती देवी पत्नी जीवणराम, गोपाल, दिनेश, योगेश, रविकान्त पिता जीवणराम हिस्सा 1/4 के स्वीकार हुआ है। जो रामलेख रिकार्ड में आज दिनांक तक दर्ज रिकार्ड है। प्रा०-पत्र के संलग्न दस्तावेज के रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा अपना पुत्र नाम गोपाल के स्थान पर दीपू करवाना चाहते हैं जो एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नहीं आती है। लिपिकीय या अन्य त्रुटियों को दोनों पक्षकारों की सहमति से दुरुस्त किया जा सकता है। परन्तु प्रार्थी ने सह खातेदारों का पक्षकार नहीं बनाया गया या फिर कोई पक्ष उनकी ओर से कोई वादु / प्रार्थना [illegible] आता। प्रार्थी का प्रा०-पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.03.24 12:26:34 IST
Reason: SelfAttested